


बिहार सरकार
परिवहन विभाग

आदेश

संख्या- 4/STA-P3-462/2012 5090 पटना, दिनांक- 31/12/2012

माल वाहकों का राष्ट्रीय परमिट की स्वीकृति/नवीकरण का कार्य मुख्यालय के अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारों द्वारा भी किया जा रहा है। मुख्यालय स्तर पर कार्य बोल अधिक रहने तथा सचिवालय स्तर पर सहायकों की कमी को देखते हुए कार्य हित में नेशनल परमिट की स्वीकृति एवं ऑथराइजेशन प्रमाण पत्र निर्गत करने का कार्य क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार पटना को दिया जाता है।


प्रधान सचिव

सह


राज्य परिवहन आयुक्त

ज्ञापांक-

5090

दिनांक- 31/12/2012

प्रतिलिपि :- प्रमंडलीय आयुक्त, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


प्रधान सचिव

सह

राज्य परिवहन आयुक्त